कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर।

क्रमांक:-व-15(7)आरपीए/जन/विविध/21/5320

खुली निविदा सूचना

राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में दीमकरोधी रोकथाम हेतु वार्षिक अनुबंध (AMC) करने के लिए मोहर बन्द निविदायें आमन्त्रित की जाती हे निविदा स्चना www.sppp.rajasthan.gov.in www.rna.raiasthan.gov.in वेबसाइट पर देखी जा सकती है :-

क्र.सं.	आईटम	अनुमानित राशि (लाख)	अमानत राशि रू. निविदा फार्म मूल्य	
1.	राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में दीमकरोधी रोकथाम हेतु वार्षिक अनुबंध (दिनांक 01.09.2021 से दिनांक 30.08. 2022तक)	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	बिंड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (2000/—)	

निविदा शर्त:-

1. निविदा विहित निविदा प्रारूप में प्रस्तुत की जायेगी, निविदा प्रपन्न इस कार्यालय की सामान्य शाखा से निर्धारित शुल्क (बैकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट) जमा करवाकर प्राप्त किया जा सकता है।

2. निविदायें मोहर बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से कार्य का नाम लिखा हो दिनांक 06.08.2021 को दोपहर एक बजे तक या इससे पूर्व कार्यालय समय में इस कार्यालय की सामान्य शाखा में जमा करायी जा सकती हैं। प्राप्त निविदायें उसी दिनांक 06.08.2021 को 03.30 पी.एम. पर क्रेता समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली

3. वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी-एसपीएफसी / 2017 जयपुर दिनांक 23.12.2020 के अनुसार बिड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर देना अनिवार्य है।

4. निविदा के साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन, जी.एस.टी. रिटर्न एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

जो निविदाएँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं की जावेगी या विहित उपर्युक्त दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त होगी उन पर विचार नहीं किया जावेगा।

6. निविदा शर्ते जी.एफ.एण्ड ए.आर. रूल्स एण्ड आर.टी.पी.पी. नियम के अनुसार मान्य होगी।

7. क्रय समिति को किसी भी निविदा को स्वीकार व अरवीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

8. निविदाएं तकनीकी बिंड व वित्तीय बिंड अलग–अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिंड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

राजस्थान पुलिसे अकादमी

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क निदेशालय राजस्थान जयपुर को 10 प्रतियों में भेजकर निवेदन है कि निविदा सूचना को तीन दिवस तक आवश्यक रूप से एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज को भेजकर निवेदन है कि आपके अधीनस्थ जिलों के ठेकेदारों को सूचित करने का श्रम करें।

3. सहायक निदेशक (प्रशासन) एवं नोडल अधिकारी आर.पी.ए. जयपूर।

4. लेखाधिकारी / प्रोग्रामर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।

5. प्रभारी कम्प्यूटर, आर.पी.ए. जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त निविदा sppp (www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं www.rpa.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर मय खुली निविदा सूचना, निविदा प्रारूप एवं शर्तों के अपलोड करवाना सुनिश्चित करावें।

प्रभारी स्टोर / कैशियर / नोटिस बोर्ड राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर ।

राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर।

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

(निविदा प्रपत्र—तकनीकी बिड) परिशिष्ट ''अ''

घोषणा

1.	विविध सामान सप्लाई के लिए निविदा।		
2.	निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नामव		
	डाक का पूर्ण पता		
	दूरभाष एवं फैक्स नम्बर इमेल सहित		
3.	निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है :- निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर		
4.	सन्दर्भ :- निविदा सूचना संख्या : दिनांक दिनांक		
	जो (समाचार पत्र का नाम) दिनांक		
	में प्रकाशित हुई है।		
5.	निविदा शुल्क :- राशि रूपये बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या		
	दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।		
6.	हम निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तो से तथा विभागीय शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं समस्त पृथ्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये जाने के प्रमाण—		
	स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये है तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।		
7.	. हम सहमत है कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित समयाविध में विविध सामान की सप्लाई कर दी जाएगी।		
8.	हम सम्पुष्टि करते है कि प्रस्तुत दरें, ''तकनीकी बिड'' में खुलने की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।		
9.	हमारा राजस्थान बिकी कर पंजियन जी.एस.टी. संख्याहै।		
10.	हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में निर्धारित प्रारूप में		
	विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त योग्य है।		
11.	हम सम्पुष्टि करते है कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये है जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—		

S.No	Type Of Certificate & Other Informations	Yes/ No	Date Of Issue/ Validity
1.	Whether Tender Fee Document Is Submitted With Open Tender, Provide Details Banker Cheque/Dd No		- andity
2.	Whether EMD Document (Bid Security Declaration) Submitted With Open Tender DtAmount.		
3.	Whether Agreed With All Tender Conditions		
4.	Whether Bidder Status In S.R. For In -11 Is Submitted With Open Tender		
5.	Whether GST Registration Certificate/Undertaking Is Submitted With Open Tender		
6.	Whether Pan Card Certificate Is Submitted With Open-Tender		

- 12. हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।
- 13. हम सम्पुष्टि करते है कि प्राईस बिड हमारे द्वारा खुली-निविदा मे निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

- क.संख्या (11) में अंकित संलग्न दस्तावेजों को प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे "Yes or "No" अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- 2. निविदा भरने की प्रक्रिया :--

(ए) तकनीकी बिंड के साथ समस्त प्रमाण पत्र स्वं हस्ताक्षर उपरान्त निर्धारित राशि खुली-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किये जावेंगें।

(बी) बोलीदाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड जिसमे बोली के तहत मांगे गयें डी.डी./बैकर्स चैक, फार्म व हस्ताक्षर युक्त बिड प्रपत्र तथा तकनीकी बिड में मांगे गये समस्त दस्तावेज रखकर सीलवन्द करना होगा तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड में अपनी प्रस्तावित दरें निर्धारित परिशिष्ठ में भरकर इस लिफाफे को सीलवन्द करना होगा। तथा इन दोनो बन्द लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में रखकर इसे सीलवन्द कर उस पर सम्बधित निविदा कार्य का नाम तथा बोलीदाता फर्म का नाम पता व दूरभाष/मोवाईल नम्बर लिखकर प्रस्तुत करना होगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी,जयपुर। क्रमांक:-व-15(16)आरपीए/जन/विविध/21/

निविदा प्रारूप

वित्तीय बिड (देखिए नियम 68)

निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि 06.08.2021समय 01.00 बजे तक। निविदा खोलने की अन्तिम तिथि 06.08.2021 सांयः 03.30 बजे ।

1. 2.	 राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर में दीमकरोधी रोकथाम हेतु वार्षिक अनुबंध (AMC) हेतु नि निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का स्थाई पता, ई-मेल एवं मोबाईल नं० 	विदा।		
		बोलीदाता		
3	का :- पैन नं	314114111		
4.	3. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन नं.			
5.	 किसको सम्बोधित की गयी—निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर। सन्दर्भ :- 			
	6. निविदा शुल्क की राशि रू 200/- बैकर चैक/बैंक डिमान्ड ड्राफ्ट सं दिन द्वारा जमा करा दी गई है।			
7.	. निवेशक राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर द्वारा दी गई निविदा सूचना संख्यादिनांकमें वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट (इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तों के हमारें द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए हैं) में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों में बाध्य होना स्वीकार करते हैं।			
	8. निविदाएं तकनीकी बिड व वित्तीय बिड अलग—अलग लिफाफों में प्रस्तुत की जावेगी। तक उपर्युक्त तालिका में अंकित ए.एम.सी. स्पेशीफिकेशन के अनुसार एवं बयाना राशि जमा करा बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।	नीकी बिड के साथ नी होगी। तकनीकी		
9.	9. कार्य की मात्रा वास्तविक मांग अनुसार घटाई एवं बटाई जा सुकरी है।			
10.	10. वित्तं विभागं के परिपत्र कमांक एफ.2(1)वित्तं / जीएएडटी-एस्पीएएडरी / 2047			
2	23.12.2020 के अनुसार बिंड सिक्यूरिटी का घोषणा पत्र बोली के साथ संलग्न प्रारूप में भरकर			
7	4.11 011414 61			
11. 3	1. इसके साथ जी.एस.टी. / बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर / आयकर चुकती प्रमाण-पत्र संलग्न क			
12. f	2. विनिर्माता / डीलर आदि का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में संलग्न है।	रें।		
13. f	3. निविदा शर्ते मेरे द्वारा देख ली गयी है तथा प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिए गये हैं।			
S. N	S. No. विवरण ट्रुप राज्य के 4			
1	नक्खी मच्छर चूहों की रोकथाम हेतु पेस्ट कन्ट्रोल	जी.एस.टी. सहित)		
2	दिमकरोधी उपचार हेतु पेस्ट कन्ट्रोल			
	न न न न न न न न न न न न न न न न न न न			

निविदादाता के हस्ताक्षर

खुली निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी : निविदाओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी निविदाऐं भेजते

समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहिए ।

 बोलीदाताओं को बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से तकनीकी एवं वित्तीय बिड मुहरबंद लिफाफों में प्रस्तुत की जानी होगी। तकनीकी रूप से सफल बिडर की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी। तकनीकी रूप से अस्वीकृत बिड पर विचार नहीं किया जावेगा।

2. (अ) मूल विनिर्माता द्वारा निविदाऐ:--

- (i) बोली आमंत्रण सूचना में वर्णित सूचना के अनुसार बोलिया संबंधित आईटम के मूल विनिर्माता एवम् उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिसे विशेष रूप से विनिर्माता द्वारा अधिकृत किया गया है, द्वारा दी जाऐंगी। बोलीदाता द्वारा अपने स्टेट्स के संबंध में बोली के साथ संलग्न एस.आर. प्रारूप 11 में घोषणा पत्र भरकर उपलब्ध करवाया जावेगा एवं लिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी बोली के साथ दिये जायेंगे।
- (ii) बोलीदाता द्वारा संबंधित वस्तु के वास्तविक निर्माता होने के संबंध में उद्योग विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि बोली के साथ प्रस्तुत करवानी होगी।

(ब) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम आरक्षणः—

- (i) किसी भी आइटम की बोली प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में पंजीकृत वे फर्में पात्र मानी जावेगी। जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से पूर्व उद्यमिता ज्ञापन II अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरण्डम प्राप्त होना चाहिए।
- (ii) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाकर वांछित शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसके अभाव में बोली निरस्त की जा सकती है।
- (iii) राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उधिमता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना के अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। फर्म जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन II अभिरवीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, उनके द्वारा बोली आमंत्रण सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि बोली के साथ मान्य स्वरूपमें एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है। राजस्थान राज्य में अभिरवीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 के अनुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त शपथ पत्र के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जावेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- (iv) स्थानीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए आरक्षित उत्पादों से भिन्न उत्पादों के उपापन हेतु वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के अनुसार स्थानीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को मूल्य एवं क्रय अधिमान प्रदान किया जायेगा। यह लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा जो अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु सं. 10 के अनुसार निर्धारित प्रारूप 'ए' में महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। साथ ही इन फर्मो द्वारा उद्यमिता

ज्ञापन भाग II/UAM एवं बिन्दु सं. 11 के निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

- (v) राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 0.25 प्रतिशत के बराबर लागत पर उपलब्ध कराया जायेगा जबिक प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित होगी। राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 11 में अंकित फार्म 'बी' के अनुसार शपथ पत्र बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
- (vi) राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.15 के नियम 12 की पालना में विभागीय कमेटी द्वारा राजस्थान राज्य की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की उत्पादन एवं उत्पाद की गुणवत्ता की जांच हेतु सुनिश्चित की जावेगी एवं उत्पादन इकाई का निरीक्षण किया जावेगा।
- (vii) राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.15 में अंकित नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

3. सैम्पल,sample)-

- (i) बोलीदाता द्वारा बोली के साथ सैम्पल हस्ताक्षरित कपड़े में सील कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) बोली आमंत्रण सूचना में अंकित नहीं होने पर भी कार्यालय द्वारा किसी भी स्टेज पर सैम्पल की मांग की जा सकेगी एवं बोलीदाता को इस हेतु सूचित करने पर सैम्पल उपरोक्तानुसार सील कर प्रस्तुत करने होंगे।
- (iii) विभागीय उपापन (procurement)सिमिति चाहेगी तो बोली सूचना में अंकित वस्तुओं के सैम्पल की जॉच किसी भी राज्य/केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्रदत प्रयोगशाला से करा सकती है। इस संबंध में विभागीय उपापन सिमित द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा। यदि सैम्पल की जॉच कराई जाती है तो जॉच शुल्क बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा जो सैम्पल की जॉच के उपरान्त बोलीदाता द्वारा राजकोष में जमा कराया जायेगा। यदि बोलीदाता जॉच शुल्क जमा नहीं कराता है तो बोलीदाता द्वारा जमा करवाई गई बोली प्रतिभूति राशि में से जॉच शुल्क राशि काट ली जाएगी।
- 4. (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना केता अधिकारी को लिखित में निविदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।
 - (ii) सिवदा के सबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदार/भागीदारों को निविदादाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं केताधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्त स्वीकृति के लिए निविदा की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकर की गई किसी भागीदारी की रसदी उन सब को बाध्य करेगी तथा यह संविदा के किसी योजना के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिसचार्ज) होगा।
- 5. जीएसटी / बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर / आयकर शोधन प्रमाण-पत्र-
 - (i) कोई भी डीलर जो अपने व्यवसाय स्थल के राज्य में प्रचलित जीएसटी अधिनियम/बिक्रकर के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है, वह बोली नहीं दे सकेगा। बोलीदाता द्वारा पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाऐगा। प्रमाण-पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

- (ii) बोलीदाता सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यिक कर अधिकारी के प्राप्त बिकी कर शोधन प्रमाण-पत्र एवं आय कर चुकती प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा । इसके बिना निविदा को रदद कर दिया जावेगा।
- 6. निविदा प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकण से भरा जायेगा। पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा। तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
- 7. दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी इसमें कोई त्रुटि या उपिरलेखन नहीं होना चाहिए यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- 8. बोली में दरें अंकित करते समय समस्त करों को शामिल करें तथा समस्त प्रकार के करों की दरें पृथक से स्पष्ट करें।
- 9. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमें सभी प्रभारों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए । स्थानीय प्रयासों सप्लाई के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए। सरकार द्वारा कोई गाड़ी भाड़ा या परिवहन प्रभार का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा माल की सुपुर्दगी केता अधिकारी के परिसरों पर दी जायेगी।
- विधि मान्यता:— निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से RTPP नियम में उल्लेखित अविध के लिए विधि मान्य होगी।
- 11. निविदाता अपनी संविदा को या उनके किसी सारवान भाग की किसी अन्य एजेंसी के लिए नहीं सौंपेगा या उप भाड़े पर नहीं देगा।
- 12. निरीक्षण एवं परीक्षण :— प्रदाय जब भी प्राप्त किया जायेगा उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जायेगा कि वे विर्निदेशों या अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप हैं। जहां आवश्यक हों वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण ग्रहों में कराया जायेगा। अनुमोदित नमूनों/केटलॉग/डेमो के अनुरूप नहीं होने पर सम्पूर्ण प्रदाय अथवा उसके अंश को रद्द कर दिया जायेगा। रद्द किये गये प्रदाय को बोलीदाता द्वारा उन्हें परिषद द्वारा निश्चित किये गये समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदलना होगा।
- 13. रद्द किये गये सामग्री को प्रदायकर्ता 15 दिन की अवधि में हटा लेगा, इसके बाद विभाग किसी भी प्रकार की हानि, कमी या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
- 14. विभाग के प्राधिकृत अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता / ठेकेंदार के परिसर में जायेगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसे भी हो किसी भी समय सामग्री का निरीक्षण एवं जांच करने की शक्ति रखेगा।
- 15. परीक्षण प्रभार :—परीक्षण प्रभार विभाग द्वारा वहन किये जायेंगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता है या यदि परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं है तो परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे।
- 16. रद्द करना :--
- (i) निरीक्षण या परीक्षण के दौरान या जो वस्तुऐं अनुमोदित नहीं की जाऐगी, उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अविध में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।
- (ii) आपूर्ति किया गया माल या आईटम निर्धारित स्पेसिफिकेशन अथवा वांछित गुणवत्ता का नहीं पाये जाने पर बोलीदाता के विरुद्ध विभाग आपराधिक एवं दीवानी कार्यवाही करने के लिए सक्षम होगा।

(iii) यदि रद्द िकये गये सामान को जनिहत/सरकारी सामानकी तात्कालिक आवश्यकता के कारण पूर्ण या आंशिक रूप से बदलना साध्य नहीं समझा जावे तो विभागीय उपापन सिमित बोलीदाता को सुनवाई का एक उचित अवसर देकर तथा कारणों को अभिलिखित करके, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती कर सकेंगे। इस प्रकार की गई कटौती अंतिम होगी।

17. निविदादाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अयोग्यता समझी जावेगी एवं ऐसे निविदादाता की निविदा को रदद

कर दिया जाएगा।

18. बोली प्रतिभूति राशि:

 बिड सिक्यूरिटी का निर्धारण वित्त विभाग के आदेश दिनांक 23.12.2020 के आधार पर किया जावेगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति हेतु स्टॉम्प घोषणा प्रस्तुत की जायेगी। बोली प्रतिभूति घोषणा स्टॉम्प के बिना बोलियो पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. राजस्थान के सक्षम, लघु एवं मध्यम उद्योगो एवं इनसे रूग्ण उद्योगों को वित्त विभाग (राजस्थान सरकार) की अधिसूचना दिनांक 19.11.2019 के अनुसार निर्धारित शपथ—पत्र

प्रस्तुत करने पर बोली प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छुट प्रदान की जायेगी।

18. **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण** —बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में जब्त कर लिया

(1)जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें परिवर्तन करता है।

(2)जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो निष्पादित नहीं करता है।

(3)जब निविदादाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नहीं करता है।

(4)जब वह निर्धारित समय के अन्तर्गत आदेशों के अनुसार सामग्री आपूर्ति करने में असफल रहता है अथवा संतोषजनक सेवाएं देने में असमर्थ रहता है।

19. करार एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति :--

(i) सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 15 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में रूपये 1000/— मूल्य के नॉन ज्सूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर (जिसका व्यय स्वयं बोलीदाता द्वारा वहन किया जावेगा) एक करार—पत्र निष्पादित करना होगा तथा प्रावधित मूल्य जिसके लिए बोली स्वीकार की गई है उसके मूल्य के 2.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभृति जमा करानी।

(ii)सामानसम्पादन प्रतिभूति की अर्भ्यथना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रिजस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाईटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबंध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल बोली लगाने वालों से की जायेगी। तथापि, उनसे एक सामानसम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में सामानसम्पादित प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।

(iii)यदि सफल बोलीदाता उस आईटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो उद्योग विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन IIअभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो तो उस आईटम के लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभृति राशि जमा कराई जावेगी।

(vi)सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औधौगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में आइटम्स के लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।

- (1) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (2) प्रतिभूति राशि निम्न रूप में होगी-
 - (i) नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक
 - (ii) डाकघर बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी।
 - (iii) अल्प बचत बैंक पास बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जायेगी। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र डिफेंस/ सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र या कोई अन्य स्किप्ट/विलेख यदि इन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इस प्रमाण पत्रों को उनके समर्पण मूल्य सरेण्डर मूल्य पर स्वीकार किया जायेगा।

20. प्रतिभूति राशि का समपहरण :— प्रतिभूति की राशि को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहरत किया जायेगा :—

(क)जब संविदा की किसी शर्त / अथवा शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

- (ख)जब बोलीदाता सम्पूर्ण सामग्री की आपूर्ति/सामानसंतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग)प्रतिभूति निक्षेप को समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में केता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।
- (घ) सामानमें असफल रहने पर परिषद द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर उसमें जो भी व्यय होगा बोलीदाता से उसकी प्रतिभूति राशि में से अथवा उसको देय बिल की राशि के भुगतान में से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी. आर.एक्ट या प्रवृत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

21. सुपर्दगी अवधि :-

- (i) निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकार की जायेगी को विभाग द्वारा आवश्यकता एवं सुविधानुसार कार्य / अनुबंध का आदेश दिया जा सकेगा ।
- (ii) यदि केता अधिकारी किन्हीं निविदा वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपन्न में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नहीं होगा।
- 22. परिसमापित नुकसानी :-परिनिर्धारित क्षतियों के साथ सुपुर्दगी अविध में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उप स्टोर के मूल्यों के लिए की जावेगी जिनको निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है:-
 - (क) विहित सामानअविध की एक चौथाई अविध तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु चिन्हित अवधि की आधी अवधि के लिए 5 प्रतिशत।
 - (ग) आधी अविध से अधिक किन्तु निहित अविध के तीन चौथाई से अधिक अविध के लिए 7.5 प्रतिशत ।
 - (घ) निहति अवधि के तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत ।
 - (ड.)यदि प्रदाय कर्ता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सामानपूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो यह लिखित में आवेदन करेगा न कि सामान पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ट) यदि सामानकरने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सामानकी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

23. वसूली:—परिनिर्धारित क्षतियाँ कम सप्लाई, टूट फूट या रदद की गई वस्तुओं /अनुबंध के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। कम सप्लाई टूट फूट, किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायक सन्तोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षति (एल.डी.) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के

पास उपलब्ध प्रतिभूति निपेक्ष से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

24. प्रदाय किये जाने वाले सामान की दरें आदि का विवरण निविदा प्रारूप पर ही अंकित किया

जावेगा। पथक से अंकित कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।

25. रिस्क एण्ड कोस्ट परचेज :- निविदादाता द्वारा आदेशित सामान निर्धारित अवधि में नहीं किये जाने पर विभाग द्वारा सामान स्थानीय बाजार से निविदादाता की रिस्क एण्ड कोस्ट पर की जा सकेगी।

26. निविदा के किसी भी भाग को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का विभाग

को पूर्ण अधिकारी होगा।

27. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन होता है तो उसका निर्णय निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, एवं सदस्य सचिव सी. डी.पी.एस.एम. जयपुर द्वारा किया जाएगा जो अन्तिम होगा एवं समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर शहर होगा।

28. वित्तीय बिड में दी गई आईटम वाईज दर के आधार पर न्यूनतम दरदाता फर्म की आईटमवार निविदा या एकजाई रूप में स्वीकार योग्य होगी। क्रय समिति का निर्णय सर्वमान्य होगा।

29. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागू होंगे।

30. सफल बिडदाता आईटम सप्लाई अथवा उसके किसी हिस्से को किसी अन्य फर्म को Sublet

नहीं करेगा।

31. सामानसंतोषजनक नहीं होने पर 30 दिवस के नोटिस पर अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।

32. बिड में अंकित दरें समस्त प्रकार के प्रचलित करों सिहत होनी चाहिये। पृथक से कोई प्रभार देय नहीं है।

33. न्यूनतम / सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता का चयन आईटम वाईज या इकजाई रेट के आधार पर किया जावेगा। इस सम्बन्ध क्रय समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

34. आईटम्स वाईज दर अंकों एवं शब्दों में ध्यानपूर्वक भरी जावें तथा कुल योग की गणना भी ध्यानपूर्वक की जावें। अंको एवं शब्दों अथवा कुल योग की गणना में अन्तर होने की स्थिति में आईटम की रेट अंको एवं शब्दों में लिखी गई में से जो न्यूनतम होगी उसको अन्तिम माना जावेगा।

35. भुगतान :-

(क) बोलीदाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में लोक उपापन नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जायेगा। सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जायेंगे। किसी भी सूरत में अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

(ख) विवादास्पद मदों में राशि का 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक को रोका जायेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

- (ग) उन मामलों में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जायेगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाये तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित निर्देशों के अनुरूप हों।
- 36. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :--
 - (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो ''पार्टनरशिप डीड'' की अनुप्रमाणित प्रति।
 - (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - (iii) एक मात्र स्वामित्तव के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

- (iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र।
- 37. किसी भी निविदा/बिंड को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित है।
- 38. राज्य से बाहर की फर्म की दरें न्यूनतम आने पर उस फर्म का राजस्थान में ब्रांच ऑफिस होना अनिवार्य है।
- 39 ब्लेक लिस्टेड फर्म की निविदाएं स्वीकार नहीं है।
- 40. निविदा प्रणाली RTPP Act 2012, Rules 2013के अनुसार होगी।
- 41. तंग करने वाली अपीले या परिवाद:— जो कोई भी किसी उपापन में विलम्ब कारित करने या उसे विफल करने या किसी उपापन संस्था या किसी अन्य बोली लगाने वाले को हानि कारित करने के आशय से इस अधिनियम के अधीन कोई तंग करने वाली, तुच्छ या द्वेषपूर्ण अपील या परिवाद दाखिल करता है, वह ऐसे जुर्माने से दण्डनीय होगा जो राशि बीस लाख रूपये या उपापन के मूल्य के पांच प्रतिशत जो भी कम हो, तक का हो सकेगा।
- 42.प्रतिभूति निक्षेप/सामानसम्पादन प्रतिभूति:— सफलतम बोली लगाने वाले को कुल रकम का 2.5 प्रतिशत अलग से प्रतिभूति राशि के रूप में जमा कराना अनिवार्य होगा। मैंने/हमने उपर्युक्त समस्त शर्ते ध्याननूर्वक पढ़ ली हैं। मैं/हम इनका निष्पादन करने के लिए बाध्य है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर (निविदा की समस्त शर्ते स्वीकार करने के प्रमाण–स्वरूप)

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं /हम / घोषणा करता हूं / करते है कि मैंने /हमने जिन मालो / सामानों / उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका / उनके / मैं /हम / बोनाफाइड विनिर्माता / थोक विकेता / सोल वितरक / प्राधिकृत डीलर / डीलर / सोल विकय / विपणन एजेण्ट हूं / है।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव वाले बिना मेरी / हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपद्धात किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

> निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर पूर्ण पता— टेलीफोन न.

शपथ-पत्र

ş	£
÷	

यह कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृति में लिप्त नही है। और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लेक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मुहर पूर्ण पता—

टेलीफोन न

'1Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and NoConflict of InterestAny

person participating in a procurement process shall -

not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a (b)

financial or other benefit or avoid an obligation.

not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair (c) the transparency, fairness and progress of the procurement process.

not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders (d)

with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.

- not indulge in any coercion including impairing or harming or ththreatening to do (e) the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process. (f)

disclose conflict of interest, if any; and (g)

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding qualifications Declaration by the Bidder

In rela	ation to m	v/our Bid sub	mitted to		
					in response to their Notice
Inviting	Bids No.		. Dated		I/We hereby declare
under Section	7 of Rajas	than Transpar	ency in pu	ıblic Pro	ocurement Act. 2012, that:

 I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity.

2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the

Biddingh Document.

3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.

4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings.

5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the

Bidding Document, which materially affects fair competition.

Date:

Place:

Designation:

Address:

Signature of bidder

Name:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

(1) Filling an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Ducument within a period of ten days from the date of such decision of action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a Procuring Entity evaluated thae Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to he acceptable.

(2) The officer whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall Endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispuse of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder of prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the first appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the espiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the Firsst Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (A) Determination of need of procurement;
- (B) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (C) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (D) Cancellation of a procurement process;
- (E)Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeal

(A) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

B) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(C) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

(6) Fee for filing appeal

- (A) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be nonrefundable.
- (B) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque or a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(A) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(B) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

hear all the parties to appeal present before him; and

(II) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause© above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

(See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act
2012
Appeal Noof
Before the(First/Second Appellate Authority)
i. A Bid
1.Particulars of appellant:
(i) Name of the appellant:
(ii) Official address, if any:
(iii) Residential address:
2.Particulars of appellant:
(i)
(ii)
(iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement
of a decision, action of omission of the Procuring Entity in contravention of
the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and
postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal
6 Grounds of appeal: (supported by an affidavit)
7. Prayer
Place
Date
Duit
appellant's signature

AnnexureD: additional conditions of contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a financial bid is substantially responsive, the procuring entity will correct arithmetical errors during evaluation of financial bids on the following basis:

- If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is I. obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the procuring entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price. In which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected:
- If there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of П. subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected and
- If there is discrepancy between words and figures, the amount in words Ш. shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount n figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be expected

2. Correction of arithmetical errors

- (i) At the time of award of contract, the quantity of goods, works or. Services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the condition of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of the Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at time of award (In case of procurement of Goods)

As general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured

from the Bidder, whose Bid is accepted. However When it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature. In such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lower Bidder or even more Bidder, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose

Bid is accepted.

Form of Bid- Securing Declaration

Data		
Date		
Bid No. Alternative No.		
Alternative No.		
To,	1	
10,		

We, the undersigned,	declare that:	
and the second short no	searding to your conditions bids ff	nust be supported by a Bid-Securing
Declaration We accept	that we are required to pay the t	old security amount specimes
term and Condition of	Bid in the following cases namely	
A A AARL	draw or modify our hid after open	ling of blus,
(b) When we do n	ot execute the agreement if any a	fter placement of supply/work order
tall all and	ified neriod:	
(c) When we fail t	o commence th/e agreement if ar	ny after placement of supply/work orde
within the coe	rified:	
(d) When we do n	ot seposit the performance secur	irity within specifled period after the
ammalu/mark a	rdor is placed , and	
(e) If we breach a	ny provision of code of integrity p	rescribed for bidding specified in the
Act and Chant	or VI of these rules.	
	the state Government shall debas	er us from participating in any
ant prococc	undertaken for a period not exce	eding three years in case where the
entire bid security or	any paart thereof is required to b	e Fortelled by procuring circurs
We understand this B	id Securing Declaration shall expi	re if:-
(i) We are not th	e successful Bidder;	
(ii) the executiion	of agreement for procurement a	nd performance security is furnished by
us in		
case the are s	uccessfuk bidder;	
(iii)thirty days after	er the expiration of our Bid.	
(i.) mt	on of the procurement process: 0	or
() The withdraw	al of hid prior to the deadline for	presenting bids, unless the bidding
documents st	ipulate that no such withdrawall	is permitted.
Signed:		
Name:		
In the canacity of :		,
Duly a+3authorized	to sing the bid for and on behalf o	DI:
Dated on day of		
Corporate Seal		•

(Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Deccuring must be sined in of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.)